प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 04.04.2024

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा नाजायज गाँजा की तस्करी/बिक्री करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 10 किलो 200 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद

दिनांक 04/04/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र मे नाजायज गाँजा की तस्करी व बिक्री करने वाले 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर शिवम मिश्रा को थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से तस्करी कर लाया हुआ 10 किलो 200 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद हुआ जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब रू0 5 लाख है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त शिवम मिश्रा ने बताया कि उसने बी0बी0ए0 किया हुआ है वह पहले मेक माई ट्रिप कम्पनी में नौकरी करता था लेकिन कोरोना काल मे उसकी नौकरी छूट गयी थी जिसके कारण घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था, उसके बाद वह दिल्ली निवासी गाँजा तस्कर बोस्को के सम्पर्क मे आया बोस्को ने उसे बताया कि गाँजा की तस्करी व बिक्री में कई गुना मुनाफा होता है। शिवम मिश्रा शुरू में बोस्को से गाँजा लेकर दिल्ली बॉर्डर व गाजियाबाद में गाँजे के छोटे-छोटे पैकेट बनाकर बेचने लगा फिर वह दिल्ली के 2-3 अन्य गाँजा तस्करों के सम्पर्क मे आकर उनसे भी माल लेने लगा। वह गाँजे के छोटे-छोटे पैकेट बनाकर AMAZON की पैकिंग मे पैक करके मोटर साईकिल से गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र मे कॉर्पोरेट ऑफिसों, कॉलेजों व फैक्ट्रियों के आस-पास फुटकर में एक लगभग 10 ग्राम की गाँजे की पुडिया रू0 800/- से रू0 1000 /- में बेचता है। AMAZON की पैकिंग इस लिए करता है जिससे उसे डिलीवरी बॉय समझा जाए और वह लोगो की नजर में न आये। गाँजा तस्करी व बिक्री में उसे काफी मुनाफा होता है जिससे वह अपने व अपने घर के खर्चे व शौक पूरे करता है।

अभियुक्त से पूछताछ पर गाँजे की तस्करी व बिक्री करने वाले कई अन्य महत्तवपूर्ण जानकारियाँ मिली है जिसके आधार पर मादक पदार्थो की तस्करी व बिक्री करने वाले अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.शिवम मिश्रा पुत्र श्री जुगल किशोर मिश्रा निवासी ग्राम बचौमी नियर फरीदपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली हाल पता बी-907 एम0जी0आई0 घरौंदा सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.गाँजा नाजायज - 10 किलो 200 ग्राम

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त शिवम मिश्रा के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.03.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा तहरीर दी कि कुलदीप मौर्या नामक व्यक्ति ने वादिया को शादी का झूठा झासा देकर 02 साल से शारिरिक संबंध बनाना , गर्भपात कराना व मना करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तहरीर दी। तत्काल कौशांबी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज , मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 03.04.2024 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त कुलदीप मौर्य पुत्र वासुदेव मौर्य निवासी कोत्वा थाना गौरीगंज जिला अमेठी उत्तर प्रदेश, हाल पता 11/197 राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष को दिल्ली जाने वाले रास्ते पर पैसीफिक माल के सामने वाली सडक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः –

1. कुलदीप मौर्य पुत्र वासुदेव मौर्य निवासी कोत्वा थाना गौरीगंज जिला अमेठी उत्तर प्रदेश, हाल पता 11/197 राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा आपराधिक न्यासभंग कारित करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 32 पीस एलईडी, 04 जनरेटर, 08 माईक, 04 एम्लीफायर,04 मर्करी लाईट, 05 स्पीकर ,04 जीपीएस सिस्टम, 04 विडियो प्लेयर, 02 कैमरे बरामद।

दिनांक 22.03.2024 को थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पर वादी मुकदमा रोहित सैनी जे बी डिकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 6 ट्रको को किराये पर लेने तथा सभी ट्रको का समय पर पूरा किराया जो बनता था उसका भुगतान कंपनी द्वारा करने व इन ट्रको को मोडिफाईड किया गया जो की हमने अपने खर्चे पर किया और सरकार के अनुसार हर ट्रको पर 6X8 ft की LED स्क्रीन सरकार की वीडियो चलाने हेतु लगवाई और साथ मैं 2 स्पीकर, 2 माइक, एम्प्लीफायर और 1 जनरेटर, कैमरे तथा जीपीएस सिस्टम तथा 2 मरकरी लाइट्स तथा 1 LEPTOP प्रति ट्रक के हिसाब से लगवाया था। 26.01. 2024 तक की समयावधि पूरी होने के बाद यह सारा सामान वापिस आना था जो वापस ना करने के सम्बन्ध में वादी रोहित सैनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसके अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया और दिनांक **04.04.2024** को उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.विजय पाण्डेय पुत्र राजकिशोर पाण्डेय नि0 प्लाट न0 1 फ्लेट न0 ई-1 मदर डेयरी के सामने नवीन पार्क सेक्टर -5 राजेन्द्रनगर थाना सा0बाद गा0बाद मूल पता HIG -38 बृजबिहार पोस्ट चन्द्रनगर थाना लिकंरोड गाजियाबाद उम्र 44 वर्ष 2.अमर सिंह पुत्र सीताराम नि0 बी 49 सुशीला गार्डन मंडोली चुंगी थाना हर्षबिहार दिल्ली उम्र 42 वर्ष 3.बृजकिशोर उर्फ रामू पुत्र बाबूराम नि0 सी 163 गली न0 30 हर्ष बिहार थाना हर्षबिहार दिल्ली उम्र 47 वर्ष 4.आबिद पुत्र अलीहसन नि0 एन-95/350 शहजादाबाद इन्द्रलोक दिल्ली 1135 मूल पता ग्राम मुबारिकपुर सलामतपुर थाना बाबूगढ जिला हापुड उम्र **30 वर्ष** को द्वारकाधीश आफिस

के सामने राजेन्द्र नगर से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 32 पीस एलईडी, 04 जनरेटर, 08 माईक, 04 एम्लीफायर,04 मर्करी लाईट, 05 स्पीकर ,04 जीपीएस सिस्टम, 04 विडियो प्लेयर, 02 कैमरे बरामद हुई। अभियुक्तगणों उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि यह सामान भारत सरकार प्रोजेक्ट संकल्प विकसित भारत यात्रा के तहत जेबी डिकोर प्राईवेट लिमि0 कम्पनी का है और इस सामान मे राम दिनेश यादव व दीपक की गाडी का सामान नही है। साहब हमने जान बूझकर यह सामान अपने पास नही रखा था। साहब हमसे गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.विजय पाण्डेय पुत्र राजकिशोर पाण्डेय नि0 प्लाट न0 1 फ्लेट न0 ई-1 मदर डेयरी के सामने नवीन पार्क सेक्टर -5 राजेन्द्रनगर थाना सा0बाद गा0बाद मूल पता HIG -38 बृजबिहार पोस्ट चन्द्रनगर थाना लिकंरोड गाजियाबाद उम्र 44 वर्ष

2.अमर सिंह पुत्र सीताराम नि0 बी 49 सुशीला गार्डन मंडोली चुंगी थाना हर्षबिहार दिल्ली उम्र 42 वर्ष

3.बृजकिशोर उर्फ रामू पुत्र बाबूराम नि0 सी 163 गली न0 30 हर्ष बिहार थाना हर्षबिहार दिल्ली उम्र 47 वर्ष

4.आबिद पुत्र अलीहसन नि0 एन-95/350 शहजादाबाद इन्द्रलोक दिल्ली 1135 मूल पता ग्राम मुबारिकपुर सलामतपुर थाना बाबूगढ जिला हापुड उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- 32 पीस एलईडी, 04 जनरेटर, 08 माईक, 04 एम्लीफायर,04 मर्करी लाईट, 05 स्पीकर ,04 जीपीएस सिस्टम, 04 विडियो प्लेयर,02 कैमरे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 कारतुस बरामद।

दिनांक 03-04-2024 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा हिण्डन राजनगर एक्सटेंशन पुस्ता रोड पर शराब ठेके के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया , जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 कारतुस बरामद हुआ है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता--

मनीष डेढा उर्फ टेढा पुत्र राजू निवासी 30 फूटा रोड, गली नंबर 06, दीनदयालपूरी, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।

अभि0 का आपराधिक इतिहास—

1 अभि0 मनीष डेढा उर्फ टेढा पुत्र राजू उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर आब0अधि0 का 01, एनडीपीएस एक्ट के 03, जान से मारने का प्रयास का 01, अवैध असलाह का 01 व थाना सिहानी गेट पर चोरी के 04, एनडीपीएस

एक्ट के 01, लूट की योजना का 01, गैंगस्टर एक्ट का 01, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर कुल 13 अभियोग पंजीकृत है। अभि0 के विरुद्ध थाना नन्दग्राम से एच0एस की कार्यवाही की गयी(एच0एस0-33 बी)।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभि0 ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह तमंचा दिल्ली में ठेके के पास से मैने राह चलते व्यक्ति से खरीदा था, जिसे में अपने पास रखता हुँ, और रात बेरात सुनसान रास्तो पर लोगो को तमंचे का भय दिखाकर उनसे लूट पाट करता हूँ।

बरामदगी का विवरण—
01 अवैध तमंचा व 01 कारतुस

गिरफ्तारी करने वाली टीम--
थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।